1038

रसीद दस्तावेज वगैरह

.... मुकाम 41

1147 (P)

स...	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
	2	3	4
	श्रीमती अरुणा [illegible] – 16,68000	[illegible] 13554	

...ख 30 AUG 2003 29103 उप-पंजीयक

1147
२१९०२

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

॥ श्री ॥

00DD 995725

* *

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2003 के खण्ड 2(1) के द्वारा लिखत क्रेता महिला के हित में होने से मुद्रांक शुल्क 7 प्रतिशत की दर से प्रभारणीय किया गया है

* *

स्टाम्प ड्यूटी रु. 116760/- बाजार मूल्य रु.16,69,000/-
कारपो ड्यूटी रु. 15680/- व्यवहार मूल्य रु.16,68,000/-
पंचायत ड्यूटी रु. 15680/- वार्ड क्रमांक "37"
उपकर ड्यूटी रु. 5840/-
अति. रु. 40/-

1672800

रु.154000/-

विक्रय पत्र

नवीन पिता श्री चम्पालालजी भारीवाल
निवासी 82/1 स्नेहलतागंज इन्दौर म.प्र.

*** विक्रेतापक्ष

श्रीमती अरुणा भदौरिया पति श्री सुरेशजी भदौरिया
निवासी 9 गुलमोहर कालोनी इन्दौर म.प्र. डायरेक्टर
मयंक होटल प्रा.लि. इन्दौर म.प्र.

*** क्रेता पक्ष

-- 2 --

25000/5 20000/1 5000/1 1000/5 = 154000/-

1) अनुक्रमांक (वार्षिक) 3812 - 22
2) विक्रय का दिनांक........28/8/2003
3) स्टाम्प का पूर्ण मूल्य (शब्दों में) [illegible]
4) वास्तविक क्रेता का नाम [illegible]
5) स्टाम्प किसी अन्य के लिए क्रय किये गये है तो उसका नाम व पता [illegible] भदौरिया
6) सव्यवहार के पक्षकारों के नाम व पते [illegible]
7) सव्यवहार का प्रतिफल का मूल्य [illegible]
8) सव्यवहार का प्रयोजन जिसके लिये स्टाम्प क्रय किये गये [illegible]
9) स्टाम्प क्रेता के हस्ताक्षर [illegible]

[signature]
1668[illegible]/-

27 AUG 2003

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
..., एम.जी. रोड, इन्दौर
172

... अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	117096-00
... निगम अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	16728-00
... पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	16728-00
... उपकर अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	5855-00
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	93-
...	156500-00
योग	

[signature]
... इन्दौर (म.प्र.)

श्रीमती अरुणा पति सुरेश जी भदौरिया

... उप पंजीयक ... के कार्यालय ...
तारीख 30-AUG-2003 ...
... 3/30 ...
... किया गया।
[signature]
... इन्दौर (म.प्र.)

Aruna

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

00DD 995641

(2)

विक्रेता पक्ष एवं क्रेता पक्ष (इस संबोधन में विक्रेतापक्ष एवं क्रेता पक्ष स्वयं उनके समस्त उत्तराधिकारी हितग्राही वैध प्रतिनिधि असाईनिज, आम मुख्त्यार आदि का समावेश है) विक्रेतापक्ष यह विक्रय पत्र प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर क्रेता पक्ष के हित में निम्नानुसार निष्पादित कर देते है कि:-

1. यह कि, विक्रेता पक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड क्रमांक 5 आर.के.पुरम कालोनी इन्दौर यहां पर स्थित है। यह भूखण्ड विक्रेतापक्ष ने पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 1अ/4221 दिनांक 12.01.1995 के द्वारा श्रीमती मुक्ति जोशी पति श्री मधुकर दत्तात्रय जोशी निवासी बिरला ग्राम इन्दौर से क्रय किया है। जिस अनुसार यह भूखण्ड विक्रेतापक्ष के एकमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य का है। यह भूखण्ड निजी स्वामित्व एवं आवासीय प्रयोजन का होकर आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इस भूखण्ड की लम्बाई 60 फीट तथा चौड़ाई 40 फीट होकर इसका योग क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट 223.04 वर्गमीटर है। इस भूखण्ड के निकास की स्वतंत्र व्यवस्था पश्चिम दिशा में स्थित कालोनी सड़क से होकर है। इस भूखण्ड की चतुःसीमा निम्नानुसार है:-

पूर्व	भूखण्ड क्रमांक 3
पश्चिम	कालोनी की सड़क
उत्तर	भूखण्ड क्रमांक 4
दक्षिण	भूखण्ड क्रमांक 6

-- 3 --

2813
2818/03

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

जिला कोषालय इन्दौर
25 AUG 2003
सह. कोषालय

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
८८, एम.जी. रोड़, इन्दौर
435747

क्रेता - श्रीमती अरुणा पति सुरेश भदौरिया
नि० 9 गुलमोहर कालोनी इंदौर

विक्रेता - नवीन पि० चम्पा लाल धारीवाल
नि० 82/1 स्नेहलता गंज इंदौर

प्रमाणित करते हैं कि तत्सम्बन्धित विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल की राशि 1668000/रु सोलह लाख अड़सठ हजार मात्र प्राप्त हो गये
मेरी उपस्थिति में चुकाने वाले हैं और प्रतिफल की बकाया रकम ...... बच गई। पंजीयन के बाद प्राप्त होगी।
दि. 199

(1) अतुल कुमार पि० पारसमल
नि० 82/1 स्नेहलता गंज इंदौर

(2) कन्हैया लाल पि० श्रीनिवास
नि० 544 उषा नगर इंदौर

आज मेरे समक्ष पूर्वोक्त निष्पादनकर्ता/ओं के विलेख के विषय में की गई स्वीकृति 199

13 0 AUG 2003

उप-पंजीयक, इन्दौर (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

00DD 995642

2. यह कि, उक्त चरण एक में किये गये वर्णन एवं चतु:सीमा के मध्य का भूखण्ड विक्रेतापक्ष ने क्रेता पक्ष को मय मालकी हक्क सहित कीमत रुपये 16,68,000.00 रुपये सोलह लाख अड़सठ हजार मात्र में विक्रय कर दिया होकर विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेता पक्ष ने क्रेता पक्ष से निम्नानुसार प्राप्त की है:-

रुपये 15,00,000.00 रुपये पन्द्रह लाख मात्र विक्रेता पक्ष को क्रेतापक्ष से पे ऑर्डर क्रमांक 489454 दिनांक 29.8.2003 सिण्डीकेट बैंक शाखा राजबाड़ा इन्दौर के द्वारा प्राप्त.

रुपये 1,68,000.00 रुपये एक लाख अड़सठ हजार मात्र विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से साक्षीगण के समक्ष नगद प्राप्त.

रुपये 16,68,000.00 रुपये सोलह लाख अड़सठ हजार मात्र प्राप्त.

उपरोक्तानुसार विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से प्राप्त कर ली है तथा अब इस विक्रय प्रतिफल बाबद विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से कोई राशि लेना शेष नहीं है ।

2814
28/8/03

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

जिला कोषालय इन्दौर
25 AUG 2003

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
८८, एम.जी. रोड़, इन्दौर
435247

नवीन
30 AUG 2003

श्रीमती अरुणा
30 AUG 2003

गवाह

00DD 995643

3. यह कि उक्त विक्रीत सम्पत्ति को इस लेख में आगे सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से **"उक्त सम्पत्ति"** से संबोधित किया गया है जिसका आशय विक्रय किये जा रहे भूखण्ड से है ।

4. यह कि, उक्त सम्पत्ति का रिक्त एवं मूर्तिमंत कब्जा विक्रेता पक्ष ने आज दिनांक को साक्षीगण के समक्ष क्रेतापक्ष को मुल दस्तावेजों सहित सौंप दिया है ।

5. यह कि, उक्त सम्पत्ति विक्रेता पक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर इसे विक्रय करने एवं प्रतिफल राशि प्राप्त कर यह विक्रय लेख क्रेता पक्ष के हित में निष्पादित कर देने का पूर्ण एवं वैधानिक अधिकार प्राप्त है ।

6. यह कि, विक्रेता पक्ष एतद द्वारा घोषित एवं निश्चित करते है कि उक्त सम्पत्ति उनके द्वारा इस विक्रय से पूर्व तथा आप क्रेता पक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दान, गिरवी, बिक्री, रहन, जमानत, आदि रीति से या अन्य किसी भी रीति से अंतरित या हस्तान्तरित की हुई नहीं है और न ही विक्रेता पक्ष द्वारा ऐसे किसी लिखतम या मौखिक वचन या पारिवारिक व्यवस्था पत्र आदि का निष्पादन किया है ।

-- 5 --

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

2815
2818/2003

जिला कोषालय इन्दौर
25 AUG 2003

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
८८, एम.जी. रोड, इन्दौर
435247

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हज़ार रुपये
सत्यमेव जयते

00DD 995644

7. यह कि, उक्त सम्पत्ति के लिये वर्तमान में किसी भी प्रकार का पारिवारिक या न्यायीक विवाद आदि लंबित नहीं है और न ही उक्त सम्पत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था का हक्क अधिकार स्वत्व आदि है । उक्त सम्पत्ति समस्त प्रकार के भार, बोझ व अन्तरण आदि से मुक्त है ।

8. यह कि, उक्त सम्पत्ति के लिये विक्रेता पक्ष के स्वामित्व बाबद जो हक्क, अधिकार, स्वत्व, आगम, आदि विक्रेता एवं उनके उत्तराधिकारीयों में निहित है वे समस्त हक्क, अधिकार, स्वत्व, आगम आदि इस लेख के व्दारा आप क्रेता पक्ष में वेष्ठित हो गये है अब आप क्रेता पक्ष उक्त सम्पत्ति का स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग व अन्तरण आदि कर सकेगें इसमें विक्रेता पक्ष या उनके वारसान की किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं रहेगी ।

9. यह कि, उक्त सम्पत्ति के लिये विक्रेता पक्ष के स्वामित्व बाबद किसी भी प्रकार का विवाद या दोष इस विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक से पूर्व के लिये, तथा भविष्य में भी पाया गया या इस सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति या संस्था ने अपना हक्क अधिकार सिद्ध किया या इस विक्रय व्यवहार में किसी भी प्रकार की आपत्ति की तो उसके निराकरण का सम्पूर्ण एवं सव्यय दायित्व विक्रेता पक्ष का रहेगा इस कारण से आप क्रेता पक्ष को किसी भी प्रकार का खर्च या नुकसानी नहीं लगने देवेगें तथा आपत्ति कर्ता के हस्ताक्षर करवाने का दायित्व विक्रेता पक्ष का रहेगा ।

-- 6 --

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

2816
2818/2003

जिला कोषालय इन्दौर
25 AUG 2003

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
८८, एस.जी. रोड, इन्दौर
435247

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000रु Rs.20000रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते

Rs.20000रु INDIA NON JUDICIAL Rs.20000रु

00CC 802945

10. यह कि, उक्त सम्पत्ति के लिये देय समस्त टैक्सेस एवं अन्य दायित्व विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक तक विक्रेता पक्ष वहन करेगें तथा विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक से उक्त दायित्व क्रेता पक्ष वहन करेगें । इस विक्रय पत्र के पंजीयन में लगने वाला समस्त व्यय क्रेतापक्ष ने वहन किया है।

11. यह कि, उक्त सम्पत्ति के लिये क्रेता पक्ष स्वयं के व्यय से अपना नामान्तरण संबंधित विभाग व अभिलेख में करवा सकेगें तथा इस कार्यवाही में विक्रेता पक्ष अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगें ।

12. यह कि उक्त सम्पत्ति अन्तरण से वर्तमान में प्रचलित किसी भी विधान या प्रावधान का उल्लघंन नहीं होता है ।

13. यह कि इस विक्रय लेख में हाथ से काटें एवं जोडे गये अशों को क्रमांक एक से लगाकर .... तक को मैं निष्पादक अभिप्रमाणित करता हूं।

14. यह कि, इस विलेख के चरण दो में उल्लेखित विक्रय प्रतिफल राशि की प्राप्ति के विवरण में रुपये 15,00,000.00 का पे ऑर्डर क्रेतापक्ष ने विक्रेतापक्ष को प्रदान किया है। यदि किसी कारण से यह पे ऑर्डर अनादृत हो जाता है या यह राशि विक्रेतापक्ष को प्राप्त नहीं होती है तो यह लेख स्वतः निरस्त माना जाकर प्रभावशून्य रहेगा।

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

2817
2818/2003

जिला कोषालय इन्दौर
27 AUG 2003

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
८८, एम.जी. रोड, इन्दौर
435247

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs.5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उपरोक्तानुसार यह विक्रय पत्र मुझ हस्ताक्षर कर्ता ने पढ़कर, समझ कर, स्वेच्छा से शरीर व मन की पूर्ण स्वस्थ हालत में साक्षीगण के समक्ष अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर दिया सो सही आवश्यकता पर काम आवे ।

इति इन्दौर दिनांक 30-8-2003

साक्षीगण:- हस्ताक्षर विक्रेता पक्ष

1.

नाम अतुल कुमार पिता पारसमल जी

पता 82/1 स्नेहलतागंज इन्दौर

2.

नाम कन्हैयालाल पिता श्रीनिवास जी

पता 544, उषा नगर इन्दौर

हस्ताक्षर क्रेतापक्ष

उभयपक्षों के द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर यह विक्रय लेख मेरे द्वारा प्रारुपित किया गया ।

एडवोकेट

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

3818
2818/2003

-8 AUG 2003

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
८८, एम.जी. रोड, इन्दौर
435247

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

क्रेता :- श्रीमती अरुणा जलोटीया पत्नि श्री— उमेश जलोटीया
9 गुलमोहर कालोनी, इन्दौर

विक्रेता :- नवीन पिता श्री चम्पालाल धाडीवाल
84/1 स्नेहलता गंज इन्दौर —

3819
28/8/2003

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

27 AUG 2003

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
८८, एम.जी. रोड, इन्दौर
435247

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

विक्रेता : नवीन पिता चम्पालाल धाविवाल
84/1, स्नेहलतागंज इन्दौर

क्रेता : श्रीमती अरुणा पति श्री ओम अग्रोहिया
9 गुलमोहर कॉलोनी, इन्दौर

3820
28/8/2003

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

जिला कोषालय इन्दौर
27 AUG 2003

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
८८, एम.जी. रोड, इन्दौर
435247

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

विक्रेता: नवीन पिता पन्नालाल ~~मकोतिया~~ घाटीवाला
84, स्नेहलतागंज, इन्दौर

क्रेता: श्रीमती अरुणा पति श्री नरेश मकोतिया
6 गुलमोहर कालोनी इन्दौर

3821
28/8/03

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

जिला कोषालय इन्दौर
25 AUG 2003

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
८८, एम.जी. रोड, इन्दौर
435247

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

विक्रेता: नवीन पिता चम्पालाल धारीवाल
84, स्नेहलतागंज, इन्दौर

क्रेता: अरुणा पति दिनेश मकोतिया
8 गुलमोहर कालोनी इन्दौर

3822
2818/2003

प्रथम पृष्ठ के साथ सलग्न

जिला कोषालय इन्दौर
25 AUG 2003

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
८८, एम.जी. रोड, इन्दौर
435247

...आज तारीख 2-9-2003 ...
1995 को पुस्तक क्रमांक 1
जि. 14879 पृ. 8 ... पर
24 से 31 ... क्रमांक 1147 (29)
पर पंजीबद्ध किया गया।

उप-पंजीयक, इन्दौर (म.प्र.)

उप-पंजीयक ... Sub-Registrar of Sub-Dis. Indore ... Madhya Pradesh

पंजीयन शुल्क
... शुल्क रु. 13529 पैसे
पृष्ठांकन शुल्क रु. 25 पैसे
नकल शुल्क रु. ... पैसे
योग 13554 पैसे

उप-पंजीयक, इन्दौर (म.प्र.)

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

नवीन पिता श्री चम्पालालजी भारीवाल
निवासी 82/1 स्नेहलतागंज इन्दौर म.प्र.

**** विक्रेतापक्ष

श्रीमती अरुणा भदौरिया पति श्री सुरेशजी भदौरिया
निवासी 9 गुलमोहर कालोनी इन्दौर म.प्र. डायरेक्टर
मयंक होटल प्रा.लि. इन्दौर म.प्र.

**** क्रेता पक्ष

3920 - 22
2-9-2003

1000/2 × 5 = 2500/-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible signature]

जिला कोषालय इन्दौर
29 AUG 2003
सह. कोषालय अधिकारी

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
88, एम.जी. रोड, इन्दौर
435247

12 1147
02/9/03

(5)

............मूल्य के इस दस्तावेज में पक्षकार के सम्पत्ति का बाजार मूल्य रु. 1668000/- अंकित किया है जो [illegible] को विषय [illegible] का बाजार मूल्य रुपये 1672800/- [illegible] है। [illegible] की [illegible] राशि 2500/- का [illegible] पक्षकार सहमत है।

अतः [illegible] 35 [illegible] "च" के [illegible] के अनुसार [illegible] द्वारा उक्त [illegible] दस्तावेज के साथ [illegible] है

हस्ताक्षर
पक्षकार

उपपंजीयक
इन्दौर

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

नवीन पिता श्री चम्पालालजी धारीवाल
निवासी 82/1 स्नेहलतागंज इन्दौर म.प्र.

**** विक्रेतापक्ष

श्रीमती अरुणा भदौरिया पति श्री सुरेशजी भदौरिया
निवासी 9 गुलमोहर कालोनी इन्दौर म.प्र.डायरेक्टर
मयंक होटल प्रा.लि. इन्दौर म.प्र.

**** क्रेता पक्ष

3921
2.9.2003

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

जिला कोषालय इन्दौर
25 AUG 2003

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
८८, एम.जी. रोड, इन्दौर
435247

12 1147
02/9/03

................मूल्य के इस दस्तावेज
में पक्षकार ने सम्पत्ति का बाजार मूल्य
रु. 1668000/- अंकित किया है
जो [illegible] की विषय वस्तु [illegible]
[illegible] बाजार मूल्य रु. 16728000/-
[illegible] है। [illegible]
[illegible] राशि 2500/- .... का
[illegible] से भी पक्षकार सहमत है।
अतः [illegible] 35 [illegible]
"क" के प्रावधानों के अनुसार [illegible] द्वारा
[illegible] स्टाम्प दस्तावेज के साथ जोड़े जाते हैं

उप-पंजीयक
इन्दौर

हस्ताक्षर
पक्षकार

500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs. 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

नवीन पिता श्री चम्पालालजी धारीवाल
निवासी 82/1 स्नेहलतागंज इन्दौर म.प्र.

**** विक्रेतापक्ष

श्रीमती अरुणा भदौरिया पति श्री सुरेशजी भदौरिया
निवासी 9 गुलमोहर कालोनी इन्दौर म.प्र.डायरेक्टर
मयंक होटल प्रा.लि. इन्दौर म.प्र.

**** क्रेता पक्ष

3922
2.9.2003

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

जिला कोषालय, इन्दौर
27 AUG 2003
सह. कोषाधिकारी

रानी जैन
स्टाम्प वेंडर
८८, एम.जी. रोड, इन्दौर
435247

13 1147 (29)
02/9/2003

उप-पंजीयक इन्दौर
Sub-Registrar of Sub-Dist. Indore
Madhya Pradesh

1668000/-
1672800/
2500/.